मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

ग्रेटर नोएडा अवैध बिल्डिंग कांड (9 मौतें) का फरार मुख्य आरोपी सोनू पाठक मुख्यमंत्री योगी के साथ : सबका साथ सबका विकास

विकास के झुनझुने	3
मॉब लिंचिंग का अर्थ	4
खतरे में संविधान	5
गप्पू-पप्पू की इप्पी	8

वर्ष 31 अंक -30 फ़रीदाबाद 22-28 जुलाई 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2.50

डॉक्टर बिशनवती को मुंहमांगी फ़ीस दो, मनमानी रिपोर्ट लो

बीके अस्पताल में एमएलआर के नाम पर पुलिस और डॉक्टर की मिलीभगत का खेल

फ़रीदाबाद (म.मो.) अंग्रेज़ों के बनाये फ़ौजदारी कानून की बदौलत पुलिस और डॉक्टर को यह सुविधा गयी है कि वे शब्दों के हेर-फ़ेर से अपराध की प्रकृति को मनचाहे तरीके से बदल कर पीड़ित व दोषी पक्ष दोनों को निचोड़ सकें। दिन को रात और रात को दिन बनाने वाली इस जोड़ी के किये धरे पर ही सुप्रीम कोर्ट तक पड़ताल के बावजूद, व्यवस्था ज़्यों की त्यों चलती रहती है।

स्थानीय थाना 55 की पाली पुलिस चौकी में गत 18 जून को उसी गांव के अशोक कुमार पुत्र शामबीर के बयान पर कई लोग़ों द्वारा मारपीट और चोट पहुंचाने की शिकायत मिलती है। इस प्रकरण पर शुरूआत में मुकदमा नम्बर 410 दिनांक 18618, भारतीय दण्ड संहिता धारा 148,149,323,506,325,के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में घायल मनोज कुमार पुत्र शामबीर की उसी दिन पाली पुलिस चौकी के एएसआई जगबीर सिंह ने बीके अस्पताल में निरीक्षण के आधार पर एमएलआर (मेडिको लीगल रिपोर्ट) प्राप्त की। यह रिपोर्ट नंबर एम-672/बी डब्लू/सीएच/2018, डॉ. बिशनवती के द्वारा दी गयी थी। इसके अनुसार घायल मनोज के सिर पर लगी चोट का एक्सरे कराने और सर्जन से राय लेने की टिप्पणी दर्ज है। डॉक्टर द्वारा मनोज को सफ़दरजंग अस्पताल दिल्ली के लिये रैफ़र भी किया गया।

घायल मनोज बजाय सफ़दरजंग अस्पताल जाने के स्थानीय एसियन अस्पताल में भर्ती हो गया और 18 से 22 जून तक उपचाराधीन दाखिल रहा। जाहिर है, एक महंगे प्राइवेट अस्पताल की दिलचस्पी उसे अधिक से अधिक समय तक अपने पास दाखिल रख कर बिल बढाने में रही होगी। घायल भी यही चाहता होगा ताकि विरोधी पार्टी पर अधिक से अधिक संगीन धारायें लग सकें।

इस दौरान पुलिस और डॉक्टर को भी खुल कर खेलने का मौका भरपूर मिल गया था। आम चर्चा है कि डॉ बिशनवती को 3 लाख रुपये पहुंचाये गये। जाहिर है मिलती जुलती रकम सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की जेब में भी गयी ही होगी। आगे दिया जा रहा घटनाक्रम इसकी स्वत: पुष्टि करता प्रतीत हो रहा है।

मनोज के एसियन अस्पताल से घर वापसी के भी पांच दिन बाद यानी दिनांक 27618 को एएसआई जगबीर सिंह ने डॉक्टर बिशनवती से सिर पर लगी चोट का स्पष्टीकरण मांगा। उसने दरखास्त में पूछा, ''मनोज कुमार की उपरोक्त चोटों बारे बताया जाय कि जान जाने का खतरा है या नहीं।'' डॉ. बिशनवती के लिये इतना इशारा काफ़ी रहा होगा। उन्होंने दो दिन तक दरखास्त अपने पास रख कर 'डेंजरस टू लाइफ़ इन नेचर' यानी 'जान के लिये खतरा' की राय दे दी।

एक तरह से मिलीभगत का खेल पूरी तरह से नंगा हो चुका था। मनोज 7 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुका था और यहां डॉ. बिशनवती उसकी जान को खतरा बता रही थी। दोनों के बीच में पुलिस वाला बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था। इस डॉक्टरी राय से लैस होकर पुलिस ने मुकदमे में हत्या के प्रयास की धारा 307 भी जोड़ दी।

डॉ. बिशनवती ने बिना किसी सर्जन की राय के यानी अपनी डॉक्टरी क्षमता से बाहर जाकर 'जान पर खतरे' की रिपोर्ट दी थी। इसने खेल के अगले चरण का रास्ता खोल दिया। पुलिस पूरी तरह बन्दर-बिल्ली की जानी पहचानी भूमिका में उतर आई। अब उसने, पूरी सांठ-गांठ के बाद आरोपी पक्ष की सुध ली।

डॉ. बिशनवती की राय के भी करीब दो सप्ताह बाद 10 जुलाई को उसी एएसआई जगबीर सिंह ने बीके अस्पताल के डॉ. उपेन्द्र भारद्वाज के सामने एक और दरखास्त पेश की। इसमें उन्हीं पुरानी चोटों के लिये पुन: 'स्पष्ट राय' का अनुरोध किया गया। इसके आधार पर तीन दिन बाद अस्पताल के आरएमओ डॉ. विकास सिंह ने तीन डॉक्टरों का बोर्ड गठित कर दिया- 1.संदीप अग्रवाल 2. संदीप बेनीवाल, दोनों सर्जन 3. मनीष।

इस बोर्ड ने उसी दिन 13 जुलाई को ही सम्बन्धित चोट को केवल 'ग्रीवियस इन नेचर' यानी केवल 'गंभीर' घोषित किया। इससे आरोपियों के विरुद्ध लगी धारा 307 के हटने का रास्ता साफ़ हो गया।

उपरोक्त पूरे चक्र में छिपी मिली भगत को इस दौरान कभी भी पकड़ा जा सकता था। बशर्ते पुलिस या अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी अपने काम को कर्त्तव्य मान कर ठीक ढंग से अंजाम दे रहे होते। एमएलआर की आड़ में आपराधिक सौदेबाज़ी का ऐसा नमूना न फ़रीदाबाद पुलिस के लिये नया है न बीके अस्पताल के लिये।

इस सवाल का जवाब कौन देगा कि पुलिस व डॉक्टर की मिलीभगत से समाज की शान्ति के साथ खिलवाड़ करने का यह क्रम कब तक चलने दिया जायेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, पुलिस विभाग, हैल्थ विभाग, पुलिस कमिश्नर, सीएमओ किस मर्ज की दवा हैं?

डॉक्टर बिशनवती की खेल में महारत है

डॉ. बिशनवती अधिकतर कैजुअल्टी में रहकर एमएलआर बनाने क ही कारोबार करती हैं। वैसे वार्डों में भी यदि लगने का मौका मिल जाये तो वहां भी ये अपनी कलाकारी दिखाने का मौका चूकती नहीं हैं।

इस सम्बंध में करीब डेढ वर्ष पूर्व 'मज़दूर मोर्चा' की खबर में बताया गया था कि किस तरह झांसी ज़िले के एक हत्यारोपी को बिशनवती ने हत्या के समय से पूर्व इसी बीके अस्पताल में भर्ती दिखाया था। इसके लिये डॉ. साहिबा ने पहले से भर्ती एक मरीज़ को अपनी मर्जी से चला गया दिखा कर, काग़ज़ात में आवश्यक काटपीट करके, उसके स्थान पर हत्यारोपी को भती दिखाया था।

उधर झांसी पुलिस ने अपनी तफ़तीश के आधार पर जब हत्यारोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत एकत्र कर लिये तो वह यहां भी आई थी। दो-तीन चक्कर लगाने के बाद पुलिस ने डॉ. बिशनवती से सौदा तय करके मामला निपटा दिया था। परन्तु इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर साहिबा के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी। इसी तरह के कारनामों से इनका हौंसला बढता जा रहा है और वे खुल कर खेलने से कतई गुरेज नहीं करतीं।

जेल मंत्री कृष्ण पंवार सरपरस्त, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अनिल जेलर को ठिकाने

फ़रीदाबाद (म.मो.) मई 2017 से स्थानीय नीमका जेल में तैनात जेलर अनिल के काले कारनामे व लूट-मार का विस्तृत विवरण '**मज़दूर मोर्चा**' में लगातार प्रकाशित होता रहा है। वह किस प्रकार कैदियों को मिलने वाले राशन को डकारता था, सब्ज़ियां व फ़ल दुगणे-चौगुणे दामों तथा बीड़ी का बंडल 200 रुपये में बेच कर खुली लूट मचाये हुये था। इसके अलावा सम्पन्न कैदियों से उनकी सम्पन्नता के हिसाब से जो लूट करता था उसका तो कोई हिसाब नहीं।

मंत्री कृष्ण पंवार : सुप्रीम कोर्ट से गये हार

उसकी यहां तैनाती के दौरान जेल काटने वाले सभी उसकी सही हकीकत को बयां कर सकते हैं। परन्तु इस देश में डर कर चुप रहने का जो रिवाज है उसके चलते सब कुछ भुगतने के बावजूद भी लोग चुप रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन इत्तफ़ाक से इस संवाददाता को उस दौरान जेल का अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लिहाजा खुद के अनुभवों के अलावा जेल में रहने के दौरान बने सूत्रों से जो भीतरी सूचनायें संवाददाता को लगातार प्राप्त होती रहीं, उनके आधार पर '**मज़दूर मोर्चा**' में सटीक रिपोर्टिंग प्रकाशित की गयीं। एक-दो नहीं लगातार दसियों रिपोर्ट प्रकाशित हुई। लेकिन जेल मंत्री कृष्ण लाल के साथ जिस सौदेबाज़ी के तहत अनिल की यहां तैनाती हुई थी उसके चलते एक के बाद एक डीजी जेल भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।

बेशक नीमका जेल की हालत बहुत खराब थी लेकिन बाकी जेलों की भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुये सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जजों- आदर्श कुमार गोयल तथा यू-यू ललित ने गत माह नीमका जेल का दौरा किया। करीब 2-3 घंटे जेल कार्यालय में बैठ कर सारी स्थिति का आंकलन करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीजेआई (भारत के मुख्य न्यायाधीश) को सौंप दी। सीजे आई की फटकार पर हरियाणा की कुल 9 जेलों के जेलर इधर से उधर बदले गये। लेकिन जेलर अनिल को किसी भी जेल में न लगा कर सीधे मुख्यालय पंचकुला में बैठा दिया गया। यानी उसे किसी भी छोटी-मोटी जेल पर तैनात करने लायक नहीं समझा गया।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस आयुक्त अमिताभ ढिल्लों ने भी इस डकैत जेलर को पूरी खुराक देने का मन बना रखा है। जेलर रूपी इस डकैत के पास 3 पिस्टल हैं। जिनका लाइसेंस रिन्यू कराने के आवेदन में उसने अपने ऊपर 2013 में दर्ज हुये एक रेप केस का उल्लेख नहीं किया था। थाना सदर बल्लबगढ में दर्ज एफ़आईआर जिसे उस वक्त खारिज करा लिया गया था, के पुनर्निरीक्षण के आदेश सीपी ने दे दिये हैं। फ़िलहाल उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है तथा तीनों पिस्टल जब्त कर लिये गये हैं।

जेलों की दुर्दशा समझने के लिये इसके उच्चाधिकारियों के कारनामों को देखना जरूरी है। यमुनानगर व अम्बाला जेलों में रहे कैदी बताते हैं कि जब आईपीएस केपी सिंह पहली बार डीजी जेल बने थे तो उनकी वकालत पास धर्मपत्नी उक्त जेलों में बतौर वकील शिकार ढूंढने आया करती थी।

जेलर द्वारा घोषणा कराई जाती थी कि चंडीगढ़ से बड़ी वकील साहिबा आई हैं, जिन कैदियों को अपने केस इन्हें देने हों आकर ड्योढी में मिले। ड्योढी में वकील साहिबा के मुंशी आदि के रूप में दो सादे कपड़ों में पुलिस वाले बैठे होते थे जो वकील साहिबा की ओर से सौदा तय करके फ़ीस वसूल लेते थे।

भाजपा के गुंडों ने अब मुसलमानों, दलितों से आगे बढ़ प्रतिष्ठित मानवाधिकार कर्मी पर वार किया

जनज्वार। प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के साथ विद्यार्थी परिषद व भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ बदतमीजी की, बल्कि उनके कपड़े फाड़कर उन्हें बहुत मारा पीटा।

घटना झारखंड के पाकुड़ की है। आज सुबह स्वामी अग्निवेश पहाड़िया महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। उसी दौरान भाजपाई गुंडों ने उनके साथ मारपीट की। विद्यार्थी परिषद व भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडे स्वामी अग्निवेश के दौरे का विरोध कर रहे थे। विरोधस्वरूप उन्हें काले झंडे दिखाते हुए उनके साथ मारपीट की गई।

पहाड़िया हिल एसेंबली महासभा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वामी अग्निवेश पाकुड़ में होटल मुस्कान में ठहरे हुए थे। जैसे ही वो सम्मेलन में जाने के लिए निकले, वैसे ही उन पर हमला कर दिया गया। उनके साथ इस हद तक मारपीट की गई कि उनके कपड़े भी फट गए। किसी तरह वहां से उनकी जान बचाकर वापस होटल ले जाया गया। उनका इलाज अस्पताल में किया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक वैभव सिंह आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखते हैं, '80 साल के वृद्ध स्वामी अग्निवेश पर जानलेवा हमला कर भाजयुमो-एबीवीपी ने फिर से दुनिया के आगे अपना कट्टर तालिबानी चेहरा प्रस्तुत कर दिया है। हिंदू पाकिस्तान/हिंदू तालिबान'

'NDTV से हुई बातचीत में स्वामी अग्निवेश ने कहा कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं। मैं शांतिप्रिय इंसान हूं। मुझे नहीं पता कि ये हमला क्यों किया गया। मैंने इस मामले की जांच की मांगी की है। हमला करने वालों ने मुझे गाली भी दी और उस वक्त कोई पुलिसवाला मेरे आसपास मौजूद नहीं था।'

स्वामी अग्निवेश पर भाजपाई गुंडों द्वारा हमले को अपराधिक कृत्य कहते हुए भाकपा माले राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने संघी हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। कहा कि भाजपा ने अपने जमात के जरिए विरोधी विचारों को शारीरिक रूप से निपटने का जिस फासीवादी हमले का सहारा लिया है, वह लोकतंत्र के लिए धब्बा है,इस फासीवादी हमले का मुहतोड़ जबाव देना होगा। साथ ही भाकपा माले ने सभी लोकतांत्रिक व भाजपा विरोधी शक्तियों से अपील की है कि वे सड़कों पर प्रतिवाद के जरिए इस फासीवादी हमले का मुहतोड़ जबाव दें।